न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनवाड़ी अपील वाद–38 / 2016
संगीता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

20.8.18

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी संगीता कुमारी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपील वाद संख्या 7 / 13–14 में पारित आदेश ज्ञापांक 1665–1 आई०सी०डी०एस०, दिनांक 01.10.2013 में पारित आदेश के विरूद्ध उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–3226, दिनांक–11.08.2015 में संशोधित निदेश कंडिका 10 / 10.4 तथा 10 / 10.7 के आलोक में वाद हस्तान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का कहना है कि आम सभा द्वारा विधिवत इन्हें सेविका पद पर चयनित किया गया था। इस चयन के विरूद्ध प्रतिपक्षी अनिता भारती द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समक्ष अपील दायर कर यह कहा गया कि सर्वाधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को छोड़कर प्रतिपक्षी का चयन कर लिया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–1665–1, दिनांक–01.10.2013 द्वारा प्रतिपक्षी संगीता कुमारी का चयन रद्द कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील दायर किया गया है। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आम सभा में लिये गये निर्णय पर सम्यक विचार किये बिना आदेश पारित कर दिया गया, क्योंकि दाखिल आवेदन पत्र पर प्रतिपक्षी का हस्ताक्षर नहीं है बल्कि किसी और ने आवेदन पर दस्तखत कर दिया। कारण था कि प्रतिपक्षी बरहपोखरिया में नहीं रह रही थी। प्रतिपक्षी सौरबाजार प्रखंड अन्तर्गत रामपुर गाँव की निवासी है, जैसा कि निर्वाचक सूची के क्रमांक 297, गृह संख्या–127, आई०डी० नंबर डीसीएल 1046051 के अवलोकन से स्पष्ट होगा। इतना ही नहीं प्रतिपक्षी ने रामपुर गाँव निवासी होने के दावे पर इन्दिरा आवास भी लिया तथा बनमा ईटहरी, कोड–19 दयान टोला, घौड़दौड़ में आशा कार्यकर्त्ता के रूप में कार्यरत है। इस तरह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी पोषक क्षेत्र की निवासी नहीं है। जहाँ तक उम्र का संबंध है प्रतिपक्षी द्वारा दो अलग–अलग उम्र पाया गया है, जो स्पष्टतया जालसाजी का मामला बनता है। आम सभा में भी उम्र को लेकर प्रतिपक्षी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय आम सभा में लिया गया था, परन्तु आम सभा के निर्णय के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी सहरसा के न्यायालय में नालसी वाद–1425 सी / 2013 दाखिल किया गया जिस पर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सी0आर0पी0सी0 की धारा 156 (3) के अन्तर्गत अनुसंधान का आदेश सलखुआ थाना को दिया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने इन तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए निदेशालय के ICDS / 30010 / 1–201 / 2862, दिनांक 04.11.11 के निदेश का भी उल्लंघन किया है। अन्ततः अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर इसके कार्यान्वियन पर रोक लगाने की याचना की है।

प्रतिपक्षी अनिता भारती का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों को इन्कार करते हुए अपीलार्थी को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। आँगनबाड़ी केन्द्र बरहपोखरिया ग्राम पंचायत–घौड़दौड़, ओ0पी0–बनमा ईटहरी, थाना–सलखुआ अन्तर्गत है, और प्रतिपक्षी घौड़दौड़ वार्ड नंबर–5 की रहने वाली है। इस केन्द्र के लिए प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध प्रतिपक्षी ने भी आवेदन किया था जिसके आधार पर मेधा सूची तैयार की गयी जिसमें 1. वन्दना कुमारी 2. अनिता भारती तथा 3. संगीता कुमारी का नाम था। वंदना कुमारी को 74 %, अनिता भारती को 55.57 %, एवं संगीता कुमारी को 47.14 %, अंक था। 04.02.2013 को निर्धारित आम सभा न ही हो पायी तो 10.06.2013 को मीना देवी सरपंच के पंच की अध्यक्षता में आम सभा हुई। वन्दना कुमारी आमसभा में अनुपस्थित थी। इस तरह मात्र दो अभ्यर्थी अनिता भारती एवं संगीता कुमारी उपस्थित थी। सबसे अधिक अंक पत्र अनिता भारती का चयन नहीं कर संगीता कुमारी को आम सभा में चयनित किया गया। इस चयन के विरूद्ध अनिता भारती ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर किया, जिसमें 11.10.2013 को संगीता कुमारी का चयन रद्द कर अनिता भारती का चयन किया गया। अनिता भारती पोषक क्षेत्र के अन्दर की रहने वाली है तथा बिहार संस्कृत बोर्ड विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गयी है। अग्रतर इनका कहना है कि आम सभा में वो जन्म तिथि में अन्तर की बात कही जाती है, वह सरासर गलत है, एवं जन्म तिथि 15.03.1986 है।

20.8.18

सोनवर्षा राज विधानसभा के मतदाता सूची के क्रमांक 292 पर इनका नाम दर्ज है। अपीलार्थी संगीता कुमारी का आम सभा में गलत ढंग से चयन किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कागज देखकर ही आदेश किया है, जो सही है। प्रतिपक्षी अनिता भारती वरहपोखरिया की रहने वाली है, जिसका आवासीय प्रामण–पत्र, वोटर लिस्ट एवं आधार कार्ड भी दाखिल किया गया है। वह रामपुर की रहने वाली है। अपीलार्थी ने परेशान करने के उद्देश्य से झूठा नालसी केश किया है, ताकि प्रतिपक्षी आँगनबाड़ी मामला छोड़कर भाग जाय। अग्रतर यह भी कहा गया है कि चयन समिति से मिलकर अपीलार्थी ने गलत चयन करा दिया है। अन्ततः अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए खर्च के साथ अपील खारीज करने की याचना की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। दिनांक 10.06.2013 को आयोजित आम सभा के समय अनिता भारती आशा पद पर कार्यरतं थी, जिसके चयन हेतु उनके द्वारा 8वाँ पास का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया था जिसमें उनकी जन्म तिथि–16.08.1977 अंकित थी। जबकि आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु उनके द्वारा मध्यमा उर्त्तीण का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया जिसमें उनकी जन्म तिथि–15.03.1986 अंकित है। अनीता भारती द्वारा दो अलग़–अलग पद के लिए अलग–अलग जन्मतिथि का प्रयोग किया गया है तथा उनके द्वारा बहस में आशा पद पर नियोजन हेतु दिये गये जन्मतिथि गलत होने के संबंध में कोई तथ्य/साक्ष्य नहीं दिये गये है। स्पष्ट है कि अनिता भारती द्वारा अपनी वास्तविक उम्र को छुपाते हुए फर्जी प्रमाण–पत्र संलग्न कर चयन समिति सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश की गई।

अतः अपील को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० के पारित आदेश को निरस्त करते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त केन्द्र पर अपीलार्थी संगीता कुमारी के चयन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मूल अभिलेख वापस करें।

वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

20.8.15

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

20.8.15

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1395-2/विधि,   सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

14.09.017